न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)
अपील संख्या:— 12/207/2019

अपीलार्थी:—
श्री पवन कुमार कौशिक निवासी प्लॉट सं07 युगलविहार कॉलोनी राधा पब्लिक स्कूल के सामने पोस्ट गोवर्धन जिला मथुरा, उ0प्र0

प्रत्यर्थी:—
लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांक:— 07—01—2020

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा—6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 04.10.2019 के माध्यम से पूर्व में जिला कलक्टर महोदय अलवर को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 14.10.19 के संबंध में आवेदन पत्र में वर्णित बिन्दूवार सूचना चाही गई थी, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वॉछित सूचनाएं दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 30.12.2019 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक 2689 दिनांक 18.12.19 के माध्यम से जबाब नोटिस पेश किया जिसके द्वारा अवगत कराया है कि उक्त प्रा0पत्र0 दिनांक 04.10.19 के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को पूर्व पत्रांक 2308 दिनांक 22.10.19 से चाही गई सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है, प्रथम अपील की अनुपालना में प्रार्थी को पुनः पत्रांक 2689 दिनांक 18.12.19 से सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार विनिश्चय कर सूचित किया जा चुका है। अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील के बिन्दु संख्या 5 व 6 पर वर्णाकिंत न्यायिक दृष्टांत उक्त प्रथम अपील में लागू नहीं होते है। अतः लोक सूचना अधिकारी कलैक्ट्रेट अलवर द्वारा पत्रांक 2308 दिनांक 22.10.19 के माध्यम से आवेदन दिनांक 4.10.19 पर किया गया विनिश्चय उचित है। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त करने योग्य है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।
5. निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
6. निर्णय आज **दिनांक 07.01.2020** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(इन्द्रजीत सिंह)
जिला कलक्टर अलवर